रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2001/वैशाख 4, 1923
No. 201] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2001/VAISAKHA 4, 1923

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2001

सा.का.नि. 289(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगाव पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमादन करती है।

2 उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) (संशोधन) विनियम, 1999

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा – 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगाव पत्तन का न्यासी मण्डल मुरगाव पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है

1 (i) इन विनियमो को मुरगाव पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) (संशोधन) विनियम, 1999 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम उस तारीख से लागू होंगे, जिस दिन भारत सरकार के अनुमोदन को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

2. विनियम - 2 में संशोधन

उप विनियम (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में "(1890 का 8)" तथा "के रूप में समझा जाए" इन शब्दों के बीच में आए निम्नलिखित शब्दों को हटा दिया जाए
"कर्मचारी के साथ रहता है।"

3. विनियम – 4 में संशोधन : उप विनियम (2) के नीचे निम्नलिखित को टिप्पणी के रुप में जोड़ा जाए :
"टिप्पणी : अस्थायी कर्मचारी (प्रशिक्षु तथा परिवीक्षार्थी सहित) जिन्हें नियमित रिक्तियों पर नियुक्त किया गया है तथा जो एक वर्ष से अधिक समय के लिए कार्य करनेवाले है, वे एक वर्ष की सेवा की समाप्ति से पहले किसी भी समय मामान्य भविष्य निधि के लिए अंशदान कर सकते है ।"

4. विनियम – 6 में संशोधन :
(क) उप विनियम (5) के नीचे निम्नलिखित को टिप्पणी के रुप में जोड़ा जाए :-
"टिप्पणी – 1: यदि अभिदाता का कोई परिवार नहीं है, अथवा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, विनियमों में यथा परिभाषित उसका परिवार बनता है, सिवाय नामजद के, वह अंतिम कालम में नाम निर्देशित व्यक्ति को नामजद का हक जाता है, अवश्य ही वही उसके परिवार के सदस्य मे भिन्न होगा ।

(ख) उप – विनियम (5) के नीचे टिप्पणी के रुप में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :
"टिप्पणी – 2 : सेवानिवृत्ति/सेवात्याग आदि के पश्चात भी इस संम्बन्ध में अभिदाता, यदि नामांकन में परिवर्तन करता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में परिवर्तन अथवा संशोधित नामांकन अधिसूचित किया गया हो ।"

(ग) उप – विनियम (5) के नीचे टिप्पणी के रुप में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :
"टिप्पणी – 3 : अभिदाता की मृत्यु के काफी पहले भविष्य निधि के लिए विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया नामांकन वैध नामांकन समझा जाए, भले ही वह अभिदाता की मृत्यु से पहले लेखा अधिकारी को नही पहुंचा हो ।"

(घ) उप – विनियम (5) के नीचे टिप्पणी के रुप में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :
"टिप्पणी – 4 : नामांकन के अनुसरण में भविष्य निधि की अदायगी मे मण्डल को विधिवत मुक्ति मिल जाती है किन्तु यदि कोई न्यायालय यह निर्णय देता है कि नामजद (दों) को वास्तविक अदायगी करने मे पहले यह अदायगी नामजद (दों) से भिन्न अन्य व्यक्तियों को करनी होगी तो न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जाएगा ।"

5. विनियम 7 :
मौजूदा विनियम 7 को निम्नलिखित मे प्रतिस्थापित किया जाए :
"प्रत्येक अभिदाता के नाम मे खाता खोला जाएगा, जिसमें निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा :-

(i) उसका अभिदान ;
(ii) विनियम ।। में यथा प्रावधान अभिदान पर ब्याज ;
(iii) निधि से अग्रिम तथा निकासियां .

6. विनियम 8 में संशोधन :
(क) उप – विनियम (3) के रुप में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :
"3) विनियम – 20 के तहत अभिदाता, जिसने अपनी निधि में जमा राशि को निकाला है, इस प्रकार के आदान के बाद निधि में अभिदान नही करेगा, जब तक कि वह वापस ड्यूटी पर नहीं आता है ।"

(ख) उप – विनियम (3) के खण्ड (1) में "छुट्टी पर था" तथा "तो उसकी परिलब्धियां" के बीच में निम्नलिखित शब्दों को जोडा जाए :

"तथा ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान नहीं करने के लिए चुना गया है अथवा कथित तारीख को निलंबन के अधीन था ।

(ग) उप – विनियम (5) के दूसरे परन्तुक को निम्नलिखित परन्तुक से प्रतिस्थापित किया जाए :

"परंतु और कि यदि अभिदाता केलेण्डर महीने में बिना वेतन अथवा अर्धवेतन अथवा अर्ध – औसतन वेतन पर छुट्टी पर है तथा ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान नहीं करने के लिए चुना गया है तो, अदा की जानेवाली अंशदान की राशि, ऊपर संदर्भित से भिन्न छुट्टी सहित ड्यूटी पर बिताए गए दिनों की संख्या के अनुपात में होगी ।"

(घ) उप – विनियम (5) के नीचे टिप्पणी – 1 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 1: अभिदाता द्वारा पहले से ही तथा की गई अंशदान की रकम, वेतन की दर में किसी भी वृध्दि अथवा कमी के कारण वर्ष के दौरान परिवर्तित नही होगी जो पूर्ववर्ती 31 मार्च के संदर्भ में अथवा वर्ष के दौरान देय होगी ।"

(ग) उप – विनियम (5) के नीचे टिप्पणी के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :–

"टिप्पणी – 2 : सामान्य भविष्य निधि के अंशदान में अधिक भुगतान अथवा कम भुगतान का समायोजन, परवर्ती महीनों में, जब भी संभव हो, अंशदान में कटौती अथवा अंशदान में वृध्दि द्वारा किया जाएगा । तथापि, नकद भुगतान अथवा वसूली, यदि अभिदाता ऐसा चाहता हो, की अस्वीकृति का उचित कारण नहीं है ।"

7. विनियम – 11 में संशोधन :

(क) उप – विनियम (4) आरंभ में आए विनियम – 14" शब्दों को निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए "विनियम – 19, 20 तथा 21 "

(ख) उप – विनियम (4) के नीचे टिप्पणी – 1 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 1 : गायब होनवाले तथा अपने परिवार को छोडनेवाले कर्मचारियों के मामले में पुलिस के सभी प्रयासों के बाद भी कर्मचारी को ढूंढ नही पाने की रिपोर्ट पुलिस विभाग से परिवार द्वारा प्राप्त तारीख से 6 महीने तक ध्यान दिया जा सकता है ।"

(ग) उप – विनियम (4) के नीचे टिप्पणी के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 2 : जब अभिदाता महीने की अंतिम तारीख को सेवानिवृत्त होता है तो वहीं विनियम – 11 के प्रयोजन के लिए 6 महीने की अवधि को तत्काल अनुवर्ती महीने को छोडकर गिना जाएगा । अर्थात जब अभिदाता के सेवानिवृत्ति की अंतिम तारीख 31 मई है, तब 6 मीने की अवधि को जून से नवंबर तक परिकलित न कर जुलाई से दिसंबर तक किया जाएगा ।"

(घ) उप - विनियम (4) के नीचे टिप्पणी – 3 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :-

टिप्पणी – 3: यदि सेवा निवृत्ति से पहले महीने के अंतिम दिन पूर्वाह्न अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो अभिदाता की मृत्यु के दिन को उसकी सेवा का अंतिम दिन माना जाएगा और अगले दिन वह सेवा छोड दिया माना जाएगा । इसलिए, ऐसे मामलों में वहीं विनियम 11(4) के प्रयोजन के लिए छह महीनों की उस अवधि को अभिदाता की मृत्यु के बाद वाले दूसरे महीने से गणना किया जाएगा ।

8. विनियम – 13 में संशोधन :

(क) खण्ड (ख) के उप खण्ड (ii) में आनेवाले शब्द "बशर्ते कि अध्ययन संबंधी पाठयक्रम कम से कम तीन वर्ष का हों " को हटा दिया जाए ।

(ख) मौजूदा खण्ड (च) को (छ) के रुप में नई संख्या दी जाए तथा निम्नलिखित को खण्ड (च) के रुप में जोड़ा जाए :

"(च) टीवी, वीसीआर/वीसीपी, वाशिंग मशीन, कुकिंग रेन्ज, गिजर तथा कॉम्प्युटर आदि जैसे उपभोज्य वस्तुओं की खरीद के लिए ।"

(ग) उप – विनियम (1) के खण्ड (घ) के नीचे टिप्पणी – 1 के रुप में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :

"टिप्पणी – 1 : नीचे दिए गए विस्तृत पाठक्रमों को तकनीकी स्वरुप का समझा जाएगा और जिसके लिए अग्रिम दी जाएगी :

(क) मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जानेवाले इंजीनियरी तथा तकनॉलाजी के विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा पाठयक्रम जैसे कि सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, दूरसंचार/रेडिओ इंजीनियरी मेटैलर्जि, ऑटोमोबाईल इंजीनियरी, टेक्सटाईल तकनॉलाजी, लेदर तकनॉलाजी, प्रिंटींग तकनॉलाजी, रसायन तकनॉलाजी आदि ।

(ख) विश्वविद्यालयों तथा मान्यनाप्राप्त तकनीकी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जानेवाले इंजीनियरी तथा तकनॉलाजी के विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री पाठ्यक्रम जैसे कि सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, दूर – विद्युत संचार इंजीनियरी तथा इलेक्ट्रानिक्स, माइनिंग इंजीनियरी, मेटैलर्जी, वैमानिकी इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी, रसायन तकनॉलाजी, टेक्सटाईल तकनॉलाजी, लेदर तकनालाजी, फार्मसी, सेरामिक्स आदि ।

(ग) विश्वविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जानेवाले इंजीनियरी तथा तकनॉलाजी के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ।

(घ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जानेवाले वास्तुशिल्प, नगर योजना तथा उससे सम्बध्द क्षेत्रों में डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(ङ.) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जानेवाले वाणिज्य में डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ।

(च) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जानेवाले प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(छ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जानेवाले कृषि, पशु चिकित्सा तथा उससे सम्बध्द विषयों में डिग्री पाठ्यक्रम ।

(ज) जूनियर तकनीकी स्कूलों द्वारा आयोजित किए जानेवाले पाठ्यक्रम ।

(झ) श्रम तथा रोजगार मंत्रालय (डी.जी.ई.एण्ड टी.) के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जानेवाले पाठ्यक्रम ।

(ञ) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जानेवाले कला/प्रायोगिक कला तथा उससे सम्बध्द विषयों में डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(ट) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जानेवाले ड्राफ्टमैनशिप पाठ्यक्रम ।

(ठ) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जानेवाले चिकित्सा पाठयक्रम (एलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेदीक तथा यूनानी विधि सहित)

(ड) बी.एससी (होम साईन्स) पाठयक्रम ।

(ढ) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित की जानेवाली होटल प्रबंधन में डिप्लोमा पाठयक्रम ।

(ण) होम साईन्स में डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठयक्रम ।

(त) चिकित्सा में प्री – प्रोफेशनल पाठयक्रम यदि चिकित्सा में 5 वर्ष के पाठयक्रम का नियमित भाग हो ।

(थ) बयों केमिस्ट्रि में पीएचडी ।

(द) शारीरिक शिक्षा में डिग्री तथा मास्टर डिग्री पाठयक्रम ।

(घ) विधि में डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठयक्रम ।

(न) माईक्रोबाईलॉजी में "आनर्स पाठयक्रम" ।

(प) चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान की एसोसिएटशिप

(फ) कॉस्ट तथा वर्क्स एकाउंटेंट संस्थान की एसोसिएटशिप

(ब) व्यवसाय प्रशासन तथा प्रबंधन में डिग्री तथा मास्टर पाठयक्रम ।

(भ) होटल प्रबंधन में डिप्लोमा पाठयक्रम ।

(म) सांख्यिकी में एम.एससी पाठयक्रम ।

(य) बी.एड तथा एम.एड. ।

(र) भारत के कंपनी सचिव संस्थान का कंपनी सेक्रेटरीशिप पाठयक्रम ।

(ल) मर्चेंट शिप के भावी नौवहन अधिकारियों को "राजेन्द्र" इस प्रशिक्षण जहाज पर दिया जानेवाला प्री – सी प्रशिक्षण पाठयक्रम ।

(व) समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय में आयोजित किए जानेवाले समुद्री इंजीनियरी में पाठयक्रम ।

"टिप्पणी — राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, में प्रवेश लेने के लिए आरंभिक प्रभारों के भुगतान को भी अग्रिम अथवा अंतिम निकासी मिलेगी ।

(घ) उप – विनियम (1) के खण्ड (छ) के नीचे टिप्पणी - 2 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी — 2 : अभिदाता को, सगाई तथा शादी के समारोह पर अग्रिम लेने की अनुमति दी जाएगी । उप –विनियम (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक समारोह को अलग प्रयोजन के रुप में माना जाए " ।

(ञ) उप – विनियम (1) के खण्ड (छ) के नीचे टिप्पणी – 3 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :-

"टिप्पणी – 3 : अभिदाता, जो निलंबन के अधीन है और वेतन के बदले निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहा है, अस्थाई अग्रिम के लिए आवेदन करता है तो विनियम – 13(1) के प्रयोजन के लिए "वेतन" वह होगा जो निलबन के अधीन रहने के तत्काल पहले उसे मिलता था ।

(ट) उप – विनियम – 3 के खण्ड (छ) के नीचे टिप्पणी – 4 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :-

"टिप्पणी – 4 : खर्च को वहन करने के पश्चात अग्रिम की मंजूरी के लिए कोई समय – सीमा लागू करने की आवश्यकता नही है, किन्तु जिस अग्रिम के लिए आवेदन किया है उस घटना के काफी समय के बाद प्रस्तुत किए गए आवेदन को अस्वीकार करने का स्वविवेक मंजूरी देनेवाले अधिकार पर छोड दिया जाएगा । तथापि खर्च को वहन करने के पश्चात अग्रिम की मंजूरी के लिए मंजूरी देनेवाले प्राधिकारी को दिए गए विवेकाधिकार, उन आकस्मिकताओं तक सीमित होंगे जिसका हम अनुमान नही लगा सकते जैसे कि दीर्घ कालीन बीमारी, अन्त्येष्टि आदि । ऐसे मामलों मे जहां घटना का अनुमान लगा लिया है तथा खर्च को वहन किया गया है, घटना के घटित होने के पश्चात अग्रिम की मंजूरी के लिए अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है ।"

9. विनियम – 16 में संशोधन

(क) उप – विनियम –1 के खण्ड (क) में अंशदाता की तथा "वर्ष की सेवा " इन शब्दों के बीच में आनेवाले अक "20" को "पद्रंह" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(ख) उप – विनियम – 1 के खण्ड के उप – खण्ड के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"(घ) टी.वी., वीसीआर/वीसीपी, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, गिजर तथा कम्प्यूटर आदि जैसे उपभोज्य वस्तुओं की लागत को पूरा करना ।

10. विनियम – 16 – घ में संशोधन

विनियम को हटा दिया जाए

11. विनियम – 17 में संशोधन

(क) उप – विनियम – 1 के नीचे टिप्पणी – 1 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 1: विनियम – 16 के उप – विनियम (1) को खण्ड (क) के उप -खण्ड (क) के तहत अभिदासा को मंजूर की गई निकासी को किस्तों में लिया जा सकता है किन्तु किस्तों की संख्या मंजूर करने की तारीख से गिने गए बाराह केलेण्डर महीनों की अवधि में चार से अधिक नहीं होगी ।"

(ख) उप – विनियम – 2 के नीचे टिप्पणी – 2 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 2 : ऐसी स्थिति में जब अभिदाता को खरीदे गए भूखण्ड अथवा मकान अथवा फ्लैट के लिए अथवा राज्य हाऊसिंग बोर्ड अथवा आवास निर्माण सहकारी संस्था अथवा राज्य हाऊसिंग फाईनान्स कॉर्पोरेशन अथवा जीआईसी हाऊसिंग फाईनन्स लिमि. के जरिए निर्मित किए गए मकान तथा फ्लैट के लिए किस्तों में अदायगी करनी, हो तो जब कभी उसे किसी भी किस्त में अदायगी करनी हो, तो उसे निधि से निकासी करने की अनुमति दी जाएगी । इस तरह की हर अदायगी को विनियम – 17 के उप – विनियम (1) के प्रयोजन के लिए किसी अलग प्रयोजन के लिए की गई अदायगी के रुप में माना जाएगा ।"

(ग) उप – विनियम – 3 के नीचे टिप्पणी – 3 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 3 : एक ही प्रयोजन के लिए अग्रिम तथा अंतिम निकासी को एक साथ मंजूर नही किया जाएगा । दूसरे शब्दों में, विनियम – 16 में उल्लिखित शर्तों के अधीन अभिदाता को किसी विशेष प्रयोजन के लिए या तो अग्रिम या अंतिम निकासी की मंजूरी की जाएगी । अग्रिम, कि बाद में अंतिम निकासी में परिवर्तित की गई हो, को विनियम - 16 के तहत अंतिम निकासी के रुप में समझा जाए अर्थात, यदि विनियम 17– क के तहत अभिदाता को अंतिम निकासी में परिवर्तित अग्रिम मिला हो तो उसे विनियम – 16 के तहत उसी प्रयोजन के लिए एक और अंतिम निकासी मंजूर नहीं की जाएगी ।"

(घ) उप – विनियम – (3) के नीचे टिप्पणी – 4 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 4 : अभिदाता को सगाई तथा शादी दोनों अवसरों पर अंतिम निकासी निकालने की अनुमति दी जाएगी । विनियम – 17 (1) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अवसर को अलग प्रयोजन के रुप में माना जाए ।"

(ड.) उप – विनियम – (3) के नीचे टिप्पणी – 5 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 5 : यदि अभिदाता को उसी अथवा अन्य स्थान पर गृह निर्माण के प्रयोजन के लिए अंतिम निकासी की मंजूरी पहले से ही दी गई हो तो किसी भी स्थान पर उसी प्रयोजन के लिए दूसरी निकासी की मंजूरी नहीं दी जानी होगी । दूसरे शब्दों में, एक से अधिक आवास के लिए अंतिम निकासी नही दी जानी होगी ।"

(च) उप – विनियम – (3) क नीचे टिप्पणी – 6 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 6 : (1) मकान की मरम्मत आदि के लिए निकासी के मामले में निकासी की स्वीकृति दी जा सकती है, किन्तु इस शर्त के अधीन कि इस कार्य के लिए अभिदाता इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उसके द्वारा किए जानेवाले कार्यों के लिए स्थानीय/मुनिसिपल प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, और

(ii) ऐसे मामलों में निकासी अनुमत है जहां पैतृक मकान कर्मचारी के नाम से स्थानातरित नहीं किया गया हो, बशर्ते कि अभिदासा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करने के लिए वह उत्तराधिकारियों/नामजदों में से एक व्यक्ति है ।

तथापि, अभिदाता को विनियम – 17(2) की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा ।

12. विनियम - 19 में संशोधन

(क) स्पष्टीकरण – 1 के नीचे टिप्पणी – 1 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 1 : स्थानांतरण में राज्य/केन्द्र सरकार, स्थानीय निकाय, महा पत्तन न्यास, स्वायत्त निकाय या इस प्रयोजन के लिए मण्डल द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य संगठनों के तहत नौकरी हासिल करने के लिए सेवा – त्याग के मामले शामिल हैं ।

(ख) स्पष्टीकरण – 1 के नीचे टिप्पणी – 2 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 2 : अभिदाता की सेवानिवृत्ति के समय सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि अथवा सेवा में रहते या सेवा निवृत्ति के बाद अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में अभिदाता के नामजदों को देय अधितरित सामान्य भविष्य निधि जमा राशि में से अभिदाता द्वारा मण्डल को देय रकम की कटौती नहीं की जा सकती है, भले ही अभिदाता अथवा नामजद की सहमति प्राप्त की गई हो ।

ऐसे मामले में जहां अभिदाता अथवा नामजद मण्डल को देय रकम की अदायगी करना चाहते हैं, किन्तु अच्छा यही होगा कि इस रकम की वापसी को दूसरी लेन – देन माना जाए । संपूर्ण रकम को बिना किसी अनिवार्यता के सबसे पहले अदा की जाए । उसके बाद, मण्डल को देय रकम अदा करने के लिए आदाता को बुलाया जाए ।

(ग) स्पष्टीकरण – 1 के नीचे टिप्पणी – 3 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 3 : अभिदाता की मृत्यु के पश्चात आश्रित द्वारा लिए गए ऋणों को आश्रित के खाते में शेष भविष्य निधि से चुकाया जाएगा तथा ऐसे ऋण जो मण्डल को देय है जिसके द्वारा शेष को चुकाया जाता है ऐसे ऋणों को, दो पार्टियों के बीच दावों तथा प्रतिदावों को निपटाने सम्बन्धी सामान्य कानून के तहत निपटाया जा सकता है ।

(घ) स्पष्टीकरण – 1 के नीचे टिप्पणी – 4 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 4 : ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो लोक – उद्यम में आमेलित हो जाते है, ब्याज सहित अंशदान की राशि जो भविष्य निधि में उसके नाम जमा है, यदि वे चाहते है तो उसे उद्यम के तहत नए भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है बशर्ते कि सम्बन्धित उद्यम भी ऐसे स्थानांतरण की सहमति देता है । यदि सम्बन्धित उद्यम भविष्य निधि का परिचालन नहीं करता है तो ऐसी रकम अंशदाता को वापस की जाएगी ।"

13. विनियम – 20 में संशोधन खण्ड (क) में "निधि में" तथा "देय हो जाएगी" इन शब्दों के बीच में आनेवाले निम्नलिखित शब्दों को हटा दिया जाए :

"इस सम्बन्ध में उसके द्वारा लेखा अधिकारी को आवेदन – पत्र देने पर "

14. विनियम – 21 में संशोधन

(क) टिप्पणी - 1 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाएं :

"टिप्पणी – 1 : नाबालिग (गो) की ओर मे रु. 10,000/– तक के भविष्य निधि राशि की अदायगी (अथवा पहले रु. 10,000 जहां देय रकम रु. 10,000/– मे अधिक हो) उसके/उनके स्वाभाविक अभिभावक को की जा सकती है अथवा जहां स्वाभाविक अभिवावक नहीं हैं, उस मामले में अभिभावकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना नाबालिग की ओर मे अदायगी को प्राप्त करने के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा उचित समझे गए व्यक्ति को अदायगी की जा सकती है । नाबालिगों की ओर से भुगतान को प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को, किसी भी परवर्ती दावे पर मण्डल को क्षतिपूर्ति करने की सहमति देते हुए दो प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर किए गए बंधक – पत्र निष्पादित करना होगा । रु. 10,000/– मे अधिक शेष रकम यदि कोई हो, तो सामान्य नियमों के अनुसार अदा की जाएगी ।

तथापि, यह आवश्यक है कि स्वाभाविक अभिभावक की अनुपस्थिति में दावा करनेवाले व्यक्ति को भुगतान करने के लिए उचित प्रथम दृष्टया आधार होने होंगे । ऐसा आधार तभी हो सकता है यदि उसने शपथ – घोषणपत्र द्वारा वास्तविक अभिभावक होने का सिध्द किया हो तथा उसके सदाशयता का पता लगा लिया हो । यदि अदालत द्वारा अभी तक अभिभावक को नियुक्त नही किया गया है तथा नाबालिग तथा उसकी संपत्ति किसी व्यक्ति की अभिरक्षा मे है जो कानूनी रुप से ऐसा व्यक्ति वास्तविक अभिभावक है । इसीलिए भुगतान करनेवाले प्राधिकारियों को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो शपथ – पत्र द्वारा उनको संतुस्ट करने के लिए नाबालिग की ओर से भुगतान का दावा करने के लिए आगे आता है कि वह नाबालिग की संपत्ति का प्रभारी है तथा उसकी देखभाल कर रहा है अथवा यह कि यदि नाबालिग के पास भविष्य निधि की रकम के अलावा कोई संपत्ति नही है तो नाबालिग उसकी अभिरक्षा तथा देख – भाल में है । उचित प्रतिभुओं के साथ क्षतिपूर्ति बंधक – पत्र के अतिरिक्त शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

हिंदू विधवा : ऐसे मामलों में जहां स्वाभाविक अभिभावक एक हिंदू विधवा है तो उसके नाबालिग संतानो की ओर से भविष्य निधि का भुगतान, चाहे वह रकम कितनी भी हो, अभिभावक प्रमाणपत्र अथवा कोई क्षतिपूर्ति बंधक – पत्र प्रस्तुत किए बिना किया जाएगा जब तक किसी ठोस सबूत से यह प्रमाणित नही होता है कि माता के हितों का प्रतिकूल प्रभाव उसके नाबालिग संतान पर पडता हो ।

हिंदू विधुर :– ऐसे मामलों में जहां स्वाभाविक अभिभावक एक हिंदू विधुर है तो उसके नाबालिग बच्चों की ओर से भविष्य निधि का भुगतान, चाहे वह रकम कितनी भी हो, अभिभावक प्रमाणपत्र अथवा कोई क्षतिपूर्ति बंधक – पत्र प्रस्तुत किए बिना किया जाएगा, जब तक किसी ठोस सबूत से यह प्रमाणित नही होता है कि पिता के हितों का प्रतिकूल प्रभाव उसके नाबालिग बच्चों पर पडता हो ।"

(ख) टिप्पणी – 2 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :–

"टिप्पणी – 2 : नाबालिग की ओर से भविष्य निधि के संवितरण के लिए क्षतिपूर्ति बंधक पत्र का प्रोफार्मा परिशिष्ट के रुप में संलग्न है । क्षतिपूर्ति बंधक – पत्र पर देय स्टैम्प शुल्क दावेदार द्वारा वहन किया जाएगा । इस क्षतिपूर्ति बंधक – पत्र को स्टैम्प कागजात पर नष्यादित कर आध्याताधारी तथा दो प्रतिभू द्वारा व्यक्तिगत रुप से अथवा मुख्तारनामा द्वारा यथावत नियुक्त किए गए उनके सम्बन्धित नियत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा । उसे मण्डल द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा न्यासी मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से स्वीकार किया जाएगा । "

(ग) टिप्पणी – 3 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :–

"टिप्पणी – 3 : अभिदाता के मरणोपरांत पैदा हुई संतान उसकी मृत्यु के समय परिवार की सदस्य है तथा यदि वह जीवित पैदा हुई हो ता उस संतान को अभिदाता की मृत्यु के पहले जन्मी जीवित संतान की तरह ही समझा जाएगा । पहले से जन्मे मरणोपरांत संतान का मामला जब लेखा अधिकारी द्वारा ले लिया जाता है, तो इससे कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी । शेष मामले में यदि मरणोपरांत संतान के अस्तित्व (इन वेन्त्रे डी सा मेरे) को लेखा अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है तो संतान के जीवित पैदा होने पर उसे देय रकम को सुरक्षित रखा जाएगा तथा शेष रकम को सामान्य तरीके से वितरित किया जाएगा । यदि संतान जीवित पैदा हुई हो तो सुरक्षित रखी गई रकम की अदायगी उसी तरह से करनी होगी जिस प्रकार नाबालिग संतान के मामले में की जाती है, किन्तु यदि कोई संतान पैदा नही हुई अथवा मृत संतान पैदा हुई हो तो सुरक्षित रखी गई रकम को सामान्य विनियमों के अनुसरण में परिवार में वितरित करनी होगी ।"

(घ) टिप्पणी – 4 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 4 : हिंदू विधि के तहत सौतेली माँ अपने नाबालिग सौतेले पुत्र की स्वाभाविक अभिभावक नही है तथा ऐसे मामले में अदालत का आदेश आवश्यक है ।"

(ङ.) टिप्पणी – 5 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :–

"टिप्पणी – 5 : हर एक मामले में यह आवश्यक नही है कि वारिसों को हक देने के लिए प्रोबेट, प्रशासन - पत्र अथवा उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए । यह पहचान का विषय है तथा यदि संदेह मे परे विधिक प्रतिनिधि की पहचान सिध्द की गई तो प्रोबेटे, प्रशासन – पत्र अथवा उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत किए बिना विधिक प्रतिनिधि को भुगतान किया जा सकता है । पहचान सिध्द करना कठिन है तथा हर हाल में यदि प्रोबेटे, प्रशासन पत्र अथवा उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र को प्रस्तुत नही किया गया हो तो इस मामले को मण्डल के पास भेज दिया जाए ।"

(च) टिप्पणी – 6 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी – 6 : (i) जब कर्मचारी अपने परिवार को छोडकर गायब हो जाता है तब कर्मचारी द्वारा किए गए, नामांकन को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार को प्रथमत: देय वेतन की रकम, छुट्टी नकदीकरण की देय रकम तथा सामान्य भविष्य निधि की रकम का भुगतान किया जा सकता है ,

(ii) एक वर्ष की अवधि के बीत जाने के पश्चात उसके परिवार को डीसीआरजी/परिवार पेंशन जैसी सुविधाओं का भी अनुदान किया जा सकता है बशर्ते कि परवर्ती पैराग्राफ में निर्धारित शर्तों की पूर्ति की जाती है ।

निम्नलिखित औपचारिकताओं का पालन करने के बाद अध्यक्ष उपर्युक्त सुविधाओं के लिए मंजूरी दे सकते हैं :-

(i) उसके परिवार को, सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कर यह रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी कि पुलिस द्वारा किए गए सभी कोशिशों के बाद भी कर्मचारी का पता नहीं लगा है ।

(ii) कर्मचारी के नामजद/आश्रितों से क्षतिपूर्ति बंधक– पत्र प्राप्त करना होगा कि यदि कर्मचारी वापस आकर कोई दावा करता है तो सभी भुगतानों को उसके देय भुगतान से समायोजित किया जाएगा ।"

(छ) टिप्पणी – 7 के रुप में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :–

"टिप्पणी – 7 : यदि मृत अभिदाता की पत्नी तथा पुत्री पर कर्मचारी के खून के सिलसिले में मुकदमा चल रहा हो तो अदालत का फैसला होने तक उन्हें सामान्य भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया जाएगा ।"

15. विनियम – 23 में संशोधन

(क) उप – विनियम – 1 में "यह ड्यूटी होगी कि वह" तथा "उस की अदायगी कर दें " इन शब्दों के बीच में आनेवाले निम्नलिखित शब्दों को हटा दिया जाए :

"इस संबंध में लिखित रुप में आवेदन प्राप्त होने पर "

(ख) उप – विनियम (3) के खण्ड (i) को हटा दिया जाए .

(ग) निम्नलिखित को टिप्पणी के रुप में जोड़ा जाए :

"टिप्पणी : अभिदाता, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो भविष्य निधि शेष का भुगतान करने में होनेवाले विलंब को दूर तथा कम करने के लिए विभागाध्यक्ष निम्नलिखित कदम उठाएगा :

(i) सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु की सूचना लेखा अधिकारी को तुरन्त दी जाएगी, ताकि भविष्य निधि लेखा पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा सके । साथ – ही – साथ लेखा अधिकारी से अनुरोध किया जा सकता है कि वह मृत अभिदाता द्वारा किए गए नामांकन आदि के विस्तृत विवरण के बारे में विभागाध्यक्ष को सूचित करें ।

(ii) अभिदाता के नामजद/परिवार के सदस्यों से भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन – पत्र प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाए, ताकि इसे विधिक वारिसों द्वारा कार्रवाई शुरु करने का इंतजार किए बिना लेखा अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सके ।"

16. विनियम – 29 :

मौजूदा विनियम – 29 को विनियम – 30 के रुप में नई संख्या दी जाए तथा निम्नलिखित को नया विनियम – 29 के रुप में जोड़ा जाए :–

"29. इन विनियमों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार के आदेश/अनुदेश/नियमों का अनुपालन ।

पूर्ववर्ती विनियमों को लागू करने में तथा इन विनियमों में जिन विषयों को समाविष्ट नहीं किया गया है इस संबंध में सामान्य भविष्य निधि (केन्द्र सेवाएं) नियम, 1960 तथा इसके तहत समय – समय पर जारी किए गए केन्द्र सरकार के आदेशों/अनुदेशों, का अनुपालन किया जाएगा जहां तक इन विनियमों के प्रावधान असंगत नहीं है सिवाय ऐसे अपवाद और संशोधन जो मण्डल द्वारा समय – समय पर नियत किया जाता है ।

[फा. सं. एच-11011/1/99-पी.ई. 1]

के. सी. पाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था देखें सा.का.नि. सं. 966 दिनांक 1.07.64

अनुवर्ती संशोधन : केन्द्र सरकार की मंजूरी सं. पीआर/12016/36/95 –पीएफ – 1 दिनांक 28.11.96 को सा.का.नि. संख्या 547 (ई) के तहत दिनांक 28.11.96 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

परिशिष्ट

मृत अभिदाता के नाबालिग संतान/संतानों को देय भविष्य निधि की राशि उसके/उनके स्वाभाविक अभिभावक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदान करने के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र का प्रपत्र (रु. 10,000/–तक)
(देखें, विनियम – 21 के नीचे टिप्पणी – 2)

इन विलेखों द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम (क) ———— पुत्र/पुत्री/पत्नी ————,(जिन्हें इसके बाद "बाध्यताकारी" कहा गया है) निवासी ————, और (ख) (1) ———— पुत्र/पुत्री ———— ————, निवासी ————, और (ख) (2) ———— पुत्र/पुत्री ———— ————, निवासी ———— (जिन्हें इसके बाद "प्रतिभू कहा गया है) मुरगांव पत्तन मण्डल (जिन्हें इसके बाद "मण्डल" कहा गया है) के प्रति रु. ———— (रुपए ———— मात्र) की रकम मण्डल अथवा उसके उत्तराधिकारियों अथवा समनुदेशितों को संदाय करने के लिए प्रतिभू अपनी ओर से वचनबध्द और दृढतापूर्वक आबध्द है । यह संदाय पूर्ण और सही रुप में करने के लिए हममें से हर एक व्यक्ति अलग — अलग से उसे तथा उसके और उनके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा अधिन्यासियों को तथा हर दो तथा हम सभी संयुक्त रुप से अपने आपको तथा हमारे संबंधित वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा अधिन्यासियों को इस विलेख द्वारा आबध्द करते हैं ।

दिनांक ————, एक हजार नौ सौ ———— को हस्ताक्षर किए गए ।

जबकि (ग) ———— ———— अपनी मृत्यु के समय सामान्य भविष्य निधि का अभिदाता था और जबकि कथित (ग) ———— की दिनांक ————, एक हजार नौ सौ ———— को मृत्यु हुई तथा रु. ———— (रु. ———— मात्र) की राशि जो कि उसकी सामान्य भविष्य निधि में संचित है मण्डल द्वारा देय है और जबकि उपर्युक्त आबध्द बाध्यताधारी कथित (ग) ———— के नाबालिग संतान/संतानों की ओर से रु. ———— (रुपए ———— मात्र की कथित राशि का दावा करता है, किन्तु अभिभावकता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है /किए हैं ।

और जबकि बाध्यताधारी(यों) ने (घ) ———— (सम्बन्धित कार्यालय) को संतुष्ट किया है कि वह/वे उपरकथित राशि के लिए अधिकृत है/हैं । और यदि दावेदार को अभिभावकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना हो तो इसके लिए उसे अनावश्यक विलंब तथा कष्ट होगा और जबकि मण्डल कथित रकम दावेदार को अदा करना चाहता है, किन्तु मण्डल के विनियमों तथा आदेशों के तहत यह आवश्यक है कि सबसे पहले दावेदार को, कथित रकम दावेदार को अदा करने से पहले कथित (घ) ———— (मृत) को यथा उपरकथित देय रकम के सभी दावों के प्रति मण्डल को क्षतिपूर्ति करने के लिए दो प्रतिभू सहित बंधपत्र निष्पादित करना होगा जिसको करने के लिए बाध्यताधारी ने तथा उसके अनुरोध पर प्रतिभू ने सहमति दी है ।

अब इस बंधपत्र की ऐसी शर्त है कि यदि दावेदार को भुगतान करने के बाद रु. ———— (रुपए ———— मात्र) की उपरकथित रकम के संदर्भ में मण्डल के विरुदध कोई अन्य व्यक्ति दावा करता है तो बाध्यताधारी अथवा प्रतिभू को रु. ———— (रुपए ———— मात्र) की राशि मण्डल को वापस करनी होगी अन्यथा उपरकथित रकम तथा उसके बारे में कोई दावा करने के परिणामस्वरुप उठाए गए सभी लागतों के मामले में सभी देयताओं से मण्डल को अहानिकर तथा क्षतिपूरित रखेगा तो ऊपर लिखित बंधपत्र अथवा बाध्यताएं शून्य हो जाएंगे अन्यथा यह बंधपत्र पूर्ण प्रचलन, प्रभाव तथा अधिकार में होगा । मण्डल ने सहमति दी है कि इन विलेखों पर प्रभारित किए जानेवाली स्टैम्प ड्यूटी, यदि कोई हो, को वह वहन करेगा ।

बाध्यताधारी तथा प्रतिभू/प्रतिभू ने इसके साक्ष्य के रुप में ऊपर लिखित दिनांक, महीना तथा वर्ष में हस्ताक्षर किए ।

ऊपर नामित "बाध्यताधारी" ने निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

(1) _____,
_____

(2) _____
_____

ऊपर – नामित "प्रतिभू/प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर किए है ।

(1) _____,
_____

(2) _____,
_____

की उपस्थिति में ;

_____
(गवाह का नाम तथा पदनाम)
मण्डल के लिए तथा उसकी ओर से स्वीकृत

_____
(मण्डल के लिए तथा उसकी ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित अथवा प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम)

(क) निवास स्थान (नों) सहित दायेदार का पूरा नाम
(ख) प्रतिभू का नाम तथा पता
(ग) मृत का नाम
(घ) अधिकारी का नाम तथा पदनाम

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2001

G.S.R. 289(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-Section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Trust Employees (General Provident Fund) Amendment Regulations, 2001 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

MORMUGAO PORT EMPLOYEES (GENERAL PROVIDENT FUND (AMENDMENT) REGULATIONS, 1999

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby makes the following Regulations further to amend the Mormugao Port Employees (General Provident Fund) Regulations,1964 viz

1 (i) These Regulations may be called the Mormugao Port Employees (General Provident Fund) (Amendment) Regulations, 1999

(ii) They shall come into force with effect from the date on which the Central Government's approval to these Regulations has been published in the Gazette of India

2 In Regulation 2,

Delete the following words in the Explanation below sub-regulation (2) occurring between the words "(8 of 1890) *and* "and treated as

" lives with the employee"

3 In Regulation 4, *insert the following as NOTE below sub-regulation (2)*:

"NOTE: - Temporary employees, (including Apprentices and Probationers) who have been appointed against regular vacancies and are likely to be continued for more than a year, may subscribe to the General Provident Fund any time before completion of one year's service "

4. In Regulation 6,

(a) Insert *the following as NOTE below sub-regulation (5):*

" **NOTE-1:** If a subscriber has no family, or has no other person, excepting the nominee, constituting his family as defined in the regulations, the person to whom the right of the nominee should pass named in the last column can, of course, be some one other than a member of his family."

(b) *Insert the following as NOTE-2 below sub-regulation (5):*

"**NOTE-2:** There should be no objection to the subscriber changing the nomination in this regard even after retirement/discharge, etc. provided the changes or revised nomination are made and notified in accordance with the provisions of the Regulations."

(c) *Insert the following as NOTE-3 below sub-regulation (5):*

"**NOTE-3:** The nomination for Provident Fund submitted to the Head of Department well before the death of the subscriber should be treated as valid nomination, notwithstanding the fact that it did not reach the Accounts Officer before the subscriber's death."

(d) *Insert the following as NOTE-4 below sub-regulation (5).*

"**NOTE-4:** - The payment of Provident Fund money in accordance with the nomination earns a valid discharge for the Board but if any Court of Law decrees that payment should be made to persons other than the nominee(s), before actual payment has been made to the nominee(s), the orders of the Court will have to be complied with."

5. Regulation 7:

Substitute the existing **Regulation 7** *with the following:*

"An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown-

(i) his subscriptions;

(ii) interest as provided by Regulation 11 on subscriptions;

(iii) advances and withdrawals from the Fund.

6.In Regulation 8,

(a) *Insert the following as sub-regulation (3):*

"3) A subscriber, who has, under Regulation 20, withdrawn the amount standing to his credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal, unless he returns to duty."

(b) *Insert the following words in clause (I) of sub-regulation (3) between the words* "said date" *and* " his emoluments":

" and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date"

(c) *Substitute the second proviso to sub-regulation (5) with the following proviso:*

" Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half-pay or half average pay for a part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty, including leave, if any, other than those referred to above."

(d) *Insert the following as NOTE-1 below sub-regulation (5):*

" **NOTE-1:** The amount of subscription originally fixed by a subscriber shall not be varied during the course of the year on account of any increase or decrease in his rate of pay, which might ultimately have been found to be due in respect of the 31st March preceding or which might take place during the year".

(e) *Insert the following as NOTE-2 below sub-regulation (5):*

" **NOTE-2:** Adjustment of overpayments or short payments of subscriptions to the General Provident Fund, by deduction from or addition to the subscription in the subsequent months should be done, whenever possible. There is, however, no warrant for refusal of cash payments or recovery, if a subscriber so desires".

7. In Regulation 11:

(a) *Substitute the words* " Regulation 14" occurring *between the words* " paid under" *and* " interest" in *sub-regulation (4) with the following words:*

" Regulations 19, 20 and 21"

(b) *Insert the following as NOTE-1 below sub-regulation (4):*

"**NOTE-1**: In respect of employees disappearing and leaving their family, the interest can be allowed upto 6 months from the date report has been obtained by the family from the Police Department that the employee has not been traced after all efforts have been made by the Police."

(c) *Insert the following as NOTE-2 below sub-regulation (4):*

"**NOTE-2:** When a subscriber retires on the last day of a month, the period of 6 months for the purpose of Regulation 11(4) ib id should be counted after excluding the immediate succeeding month, that is to say, for instance when a subscriber's last day of service is the 31st of May, the period of 6 months should be computed from July to December and not from June to November."

(d) *Insert the following as NOTE-3 below sub-regulation (4):*

" **NOTE-3:** In the case of a subscriber, who dies in the forenoon of the last day of a month before retirement, the day of death of the subscriber should be treated as the last day of his service and he should be deemed

to have quit the service the following day. Therefore, in all such cases, the period of six months for the purpose of Regulation 11(4) ibid should be reckoned from the second month following the month in which the subscriber dies"

8. In Regulation 13,

(a) *Delete the words* " provided that the course of study is not less than three years" *appearing in sub-clause (ii) of clause (b)*

(b) *Renumber the existing clause (f) as (g) and insert the following as clause (f):*

"(f) to purchase consumer durables such as TV, VCR/VCP, washing machines, cooking range, geysers and computers. Etc."

(c) *Insert the following as NOTE-1 below clause (g) of sub-regulation (1):*

"**NOTE-1:** The courses detailed below should be treated as technical in nature for which advances may be given:

(a) Diploma course in the various fields of Engineering and Technology, e.g. Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Telecommu.ication/Radio Engineering, Metallurgy, Automobile Engineering, Textile Technology, Leather Technology, Printing Technology, Chemical Technology etc. etc., conducted by recognised technical institutions.

(b) Degree courses in the various fields of Engineering and Technology e.g., Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Tele-Electrical Communication Engineering and Electronics, Mining Engineering, Metallurgy, Aeronautical Engineering, Chemical Engineering, Chemical Technology, Textile Technology

Leather Technology, Pharmacy Ceramics, etc. etc. conducted by Universities and recognised technical institutions.

(c) Post-Graduate courses in the various fields of Engineering and Technology conducted by the Universities and recognised institutions

(d) Degree and Diploma courses in Architecture, Town Planning and allied fields conducted by recognised institutions.

(e) Diploma and Certificate courses in Commerce conducted by recognised institutions.

(f) Diploma courses in Management conducted by recognised institutions.

(g) Degree courses in Agriculture, Veterinary Science and allied subjects conducted by recognised Universities and institutions.

(h) Courses conducted by Junior Technical Schools

(i) Courses conducted by Industrial Training Institutes under the Ministry of Labour and Employment (D G E & T)

(j) Degree and Diploma courses in Art/Applied Art and allied subjects conducted by recognised institutions

(k) Draftsmanship courses by recognised institutions.

(l) Medical courses (including, Allopathic, Homoepathic, Ayurvedic and Unani systems) conducted by recognised institutions

(m) B Sc (Home Science) courses

(n) Diploma course in Hotel Management conducted by recognised institutions.

(o) Degree and Post-Graduate courses in Home Science.

(p) Pre-Professional course in Medicine, if part of regular 5 years course in Medicine

(q) Ph D in Biochemistry.

(r) Bacheior and Master s Degree courses in Physical Education.

(s) Degree and Post-graduate course in Law.

(t) " Honours" course in Microbiology.

(u) Associateship of the Institute of Chartered Accountants.

(v) Associateship of the Institute of Costs and Works Accountants.

(w) Degree and Master's course in Business Administration or Management.

(x) Diploma course in Hotel Management.

(y) M.Sc course in Statistics.

(z) Master of Education and Bachelor of Education.

(aa) The Company Secretaryship Course of the Institute of Company Secretaries of India.

(ab) The Course of pre-sea training imparted on the Training Ship "Rajendra" to prospective navigating officers on merchantships.

(ac) The course in Marine Engineering conducted in the Directorate of Marine Engineering Training.

"**NOTE.** – Payment of initial charges for admission to the National Defence Academy, Khadakvasla, will also qualify for advances or final withdrawals."

(d) *Insert the following as NOTE-2 below Clause (g) of sub-regulation (1):*

"**NOTE-2:** A subscriber shall be permitted to avail an advance both on the occasion of betrothal ceremony and marriage ceremony. Each occasion shall be treated as a separate purpose for the purpose of clause (c) of sub-regulation (1)."

(e) *Insert the following as NOTE-3 below clause (g) of sub-regulation (1):*

"**NOTE-3:** In the case of a subscriber, who applies for a temporary advance while he is under suspension and draws subsistence grant

instead of pay, the "pay" for the purpose of Regulation 13(1) shall be that which he drew immediately before he was placed under suspension."

(f) *Insert the following as NOTE-4 below clause (g) of sub-regulation 3:*

"**NOTE-4** No time limit need be imposed for the grant of an advance after the expenditure has been incurred but it shall be left to the discretion of the sanctioning authority to reject an application submitted unreasonably long after the event to which the application for the advance relates. However, the discretion vested in the sanctioning authority to grant an advance after the expenditure has been incurred would be limited to contingencies, which cannot be foreseen, viz. cases of prolonged illness, funerals, etc. In cases, where the event is foreseen and expenditure has been incurred, approval of the Chairman is necessary to grant an advance after the occurrence of the event "

9. In Regulation 16,

(a) *Substitute the figure* "20" *occurring between the words* " completion of" *and* " years of service" *with the words* " fifteen" *in Clause (A) of sub-regulation 1.*

(b) *Insert the following as sub-clause (d) of clause A of sub-regulation 1:*

"(d) meeting the cost of consumer durables such as TV, VCR/VCP, washing machines, cooking range, geysers and computers, etc."

10. In Regulation 16-D,

Delete the Regulation.

11. In Regulation 17,

(a) *Insert the following as NOTE-1 below sub-regulation 1:*

" **NOTE-1:** A withdrawal sanctioned to a subscriber under sub-clause (a) of Clause (A) of sub-regulation (1) of Regulation 16 may be drawn in instalments, the number of which shall not exceed four in a period of twelve calendar months counted from the date of sanction".

(b) *Insert the following as NOTE-2 below sub-regulation 2:*

"**NOTE-2:** In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased or a house or flat constructed through a State Housing Board or a House- Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-regulation (1) of Regulation 17."

(c) *Insert the following as NOTE-3 below sub-regulation (3):*

" **NOTE-3:** An advance and a final withdrawal for the same purpose should not be sanctioned together. In other words, a person should be granted either an advance or a final withdrawal for a particular purpose subject to the conditions mentioned in Regulation 16. Further, the advance, which is subsequently converted into final withdrawal, should be treated as a final withdrawal under Regulation 16 ; that is to say, if a person has got an advance converted into a final withdrawal under Regulation 17-A, he should not be allowed another final withdrawal for the same purpose under Regulation 16."

(d) *Insert the following as NOTE-4 below sub-regulation (3):*

"**NOTE-4:** A subscriber shall be permitted to make a final withdrawal both on the occasion of the betrothal ceremony and the marriage ceremony. Each occasion shall be treated as separate purpose for the purpose of Regulation 17(1)."

(e) *Insert the following as NOTE-5 below sub-regulation (3):*

"**NOTE-5**: A subscriber should not be granted a second withdrawal for house-building purpose at any place if he has already been granted a final withdrawal for similar purposes at the same or another place. In other words, final withdrawals should not be allowed for more than one house"

(f) *Insert the following as NOTE-6 below sub-regulation (3):*

" **NOTE-6:** (I) In case of withdrawal for upkeep of house, etc., withdrawal can be admitted subject to the condition that the subscriber submits a certificate to the effect that the items of work to be carried out by him do not require the approval of the local/municipal authority, and

(ii) Withdrawal is permissible in cases where the ancestral house has not been transferred in the name of the employee, subject to production of proof by the subscriber that he/she is one of the inheritors/nominees to receive the share of the property.

However, the subscriber should comply with the requirements of Regulation 17(2) ibid."

12. In Regulation 19,

(a) *Insert the following as a NOTE-1 below EXPLANATION –1:*

"**NOTE-1:** Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under the State/Central Government, Local Body, Major Port Trust, Autonomous Body or other organisations recognised by the Board for the purpose"

(b) *Insert the following as NOTE-2 below EXPLANATION –1*

"**NOTE-2:** Deduction of an amount due to the Board by a subscriber from his accumulations in the General Provident Fund at the time of his retirement or from undisbursed General Provident Fund accumulations

payable to a subscriber's nominees in the event of subscriber's death in service or after retirement, as the case may be is not permissible, even though the consent of the subscriber or nominee may have been obtained

In cases where the subscriber or nominee is willing to repay the amount due to the Board, the best course is to treat the repayment as a second transaction. The whole of the money should first be paid intact and without any compulsion. Thereafter, the payee may be called upon to make good the Board's dues"

(c) *Insert the following as NOTE-3 below EXPLANATION –1:*

" **NOTE-3: -** The Provident Fund balances vesting in a dependant are liable to attachment for debts incurred by the dependant after the subscriber's death and where such debts are due to the Board, by whom the balances are payable, they could be set off against such balances under the general law relating to the setting off of claims and counter-claims between the two parties "

(d) *Insert the following as NOTE-4 below EXPLANATION –1:*

"NOTE-4: In the case of employees, who get absorbed in Public Enterprises, the amount of subscriptions, together with interest thereon standing to Provident Fund account may, if he so desires, be transferred to his new Provident Fund account under the Enterprise, provided the concerned Enterprise also agrees to such a transfer If, however, the concerned Enterprise does not operate a Provident Fund, the amount in question should be refunded to the subscriber".

13. In Regulation 20, *delete the following words in Clause (a) occurring between the words* " in the Fund" *and* " become payable":

" upon an application made by him in that behalf to the Accounts Officer"

14. In Regulation 21,

(a) *Insert the following as NOTE-1:*

"**NOTE-1:** The payment of provident fund moneys to the extent of Rs. 10,000 (or the first Rs. 10,000 where the amount payable exceeds Rs. 10,000) on behalf of the minor(s) can be made to his/ their natural guardian or where no natural guardian exists to the person considered fit by the Head of Department to receive payment on behalf of the minor(s) without requiring him to produce a guardianship certificate. The person receiving payment on behalf of the minors should be required to execute a bond signed by two sureties agreeing to indemnify the Board against any subsequent claim. The balance in excess of Rs.10, 000, if any, would be paid in accordance with the normal rules.

It is essential, however, that in the absence of a natural guardian, there should be adequate prima facie grounds for making payment to the person claiming it. Such ground can exist only if he/she is shown by a sworn declaration to be *de facto* guardian and his/her bonafides have been ascertained. Even if a guardian has not yet been appointed by the Court, if the minor and his property are in the custody of some person, such person is, in law, a *de facto* guardian. The authorities making payment should, therefore, require the person, who comes forward to claim payment on behalf of the minor, to satisfy them by an affidavit that he is in charge of the property of the minor and is looking after it or that if the minor has no property other than the Provident Fund money, the minor is in his custody and care. The affidavit is to be produced in addition to the indemnity bond with suitable sureties.

Hindu Widow. - In cases where the natural guardian is a Hindu widow, the payment of provident fund moneys on behalf of her minor children shall be made to her, irrespective of the amount involved without production of guardianship certificate or any indemnity bond unless there is anything concrete to show that the interests of the mother are adverse to those of the minor children.

Hindu widower- In cases where the natural guardian is a Hindu widower, the payment of provident fund money on behalf of his minor children shall be made to him, irrespective of the amount involved without production of the guardianship certificate or any indemnity bond, unless there is anything concrete to show that the interests of the father are adverse to those of the minor children."

(b) *Insert the following as NOTE-2:*

"**NOTE-2:** The proforma for bond of indemnity for disbursement of provident fund money on behalf of minors is appended as Annexure. The stamp duty payable on the indemnity bond will be borne by the claimant. The indemnity bond may be executed on a stamped paper and should be signed by the obligor and two sureties personally or by their respective constituted attorneys duly appointed by the power of attorneys. It should be accepted for and on behalf of the Board of Trustees by an Officer duly authorised by the Board."

(c) *Insert the following as NOTE-3:*

" **NOTE-3:** A subscriber's posthumous child is a member of a family at the time of his death, and if born alive, should be treated in the same way as surviving child born before the subscriber's death. The case of a posthumous child already born when the case is taken up by the Accounts Officer will present no difficulty. For the rest, if the existence (*en ventre de*

sa mere) of a posthumous child is brought to the notice of the Accounts Officer, the amount, which will be due to the child in the event of its being born alive, should be retained and the balance distributed in the normal way. If the child is born alive, payment of the amount retained should be made as in the case of minor child; but if no child is born, or a child is still-born, the amount retained should be distributed among the family in accordance with the ordinary regulations."

(d) *Insert the following as NOTE-4:*

"**NOTE-4:** Under Hindu law, a stepmother is not the natural guardian of her minor stepson and in this case, an order of the Court would be necessary."

(e) Insert *the following as NOTE-5:*

"**NOTE-5:** It is not necessary in every case that probate, letters of administration or a succession certificate should be taken out in order to confer a title upon the heirs. It is a question of identity and if the identity of the legal representative can be established beyond doubt, payment can be made to the legal representative, without the production of probate, letter of administration or a succession certificate, as the case may be. The difficulty is to establish identity and in any case, when probate, letters of administration or a succession certificate are not produced, the case should be referred to the Board."

(f) *Insert the following as NOTE-6:*

"**NOTE-6:** (i) When an employee disappears leaving his family, the family can be paid in the first instance the amount of salary due, leave encashment due and the amount of GPF having regard to the nomination made by the employee, (ii) after the lapse of a period of one year, other benefits like DCRG/family pension may also be granted to the family

subject to the fulfillment of conditions prescribed in the succeeding paragraphs.

The above benefits may be sanctioned by the Chairman after observing the following formalities: -

(i) The family must lodge a report with the concerned Police Station and obtain a report that the employee has not been traced after all efforts had been made by the police.

(ii) An Indemnity Bond should be taken from the nominee/dependants of the employee that all payments will be adjusted against the payments due to the employee in case he appears on the scene and makes any claim."

(g) Insert *the following as NOTE-7:*

"**NOTE-7:** The wife and daughter of the deceased subscriber, who are facing a trial for the murder of the employee may be denied the payment of GPF till the court's decision."

15. In Regulation 23:

(a) *Delete the following words occurring between the words* " make payment" *and* " as provided" in *sub-regulation 1:*

" On receipt of written application in this behalf."

(b) *Delete clause (i) of sub-regulation (3)*

(c) *Insert the following as NOTE:*

" **NOTE**: To obviate and reduce delays in the payment of Provident Fund balances in the case of a subscriber, who dies while in service, the Head of Department shall take the following steps:

(i) Intimation about the death of a subscriber while in service should be sent to the Accounts Officer promptly to enable him to initiate action for completion of the Provident Fund Account. The Accounts Officer may, at

the same time, be requested to inform the Head of Department the details of nomination, etc. made by the deceased subscriber.

(ii) Action should be taken to get the application for final payments of Provident Fund money from the nominee/family members of the subscriber for submission to the Accounts Officer without waiting for the legal heirs to initiate action."

16. Regulation 29:

Renumber the existing Regulation 29 as Regulation 30 and insert the following as a new Regulation 29:

"29. CENTRAL GOVERNMENT ORDERS/INSTRUCTIONS/RULES TO BE FOLLOWED IN THE APPLICATION OF THESE REGULATIONS:

In applying the foregoing regulations and in respect of matters not dealt within these Regulations, the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and the orders/instructions of the Central Government issued thereunder from time to time shall be followed insofar as they are not inconsistent with the provisions in these Regulations, subject to such exceptions and modifications as the Board may from time to time determine."

[F. No. H-11011/1/99-PF-I]

K. V. RAO, Jt. Secy.

FOOT NOTE: The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide GSR No.966 dated 1/7/64.

Subsequent amendments: Central Government sanction No. PR-12016/36/95-PF-I dated 28/11/96 published in the Gazette of India dated 28/11/96 under GSR No. 547(E).

ANNEXURE

Form of Bond of Indemnity for drawal of Provident Fund money due to the minor child/ children of deceased Subscriber by a person other than his/ their natural guardian (to the extent of Rs. 10,000)

(Vide NOTE-2 below Regulation 21)

KNOW ALL MEN by these presents we (a)---------- Son/daughter/wife of ---------- (hereinafter called 'obligor') resident of ---------- ------- and (b) (1) ---------- son/daughter/wife of ---------- and resident of ---------- and (b) (2) ---------- son/daughter of ---------- and resident of ---------- (hereinafter called the ' sureties'), Sureties on her/his their behalf are held firmly to the * Board of Trustees of the Port of Mormugao ---------- (hereinafter called the 'Board') in the sum of Rupees---------- (in words and figures) to be paid to the Board or his successors or assigns for which payment to be well and truly made, each of us severally binds himself and his heirs, executors, administrators and assigns and every two and all of us jointly bind ourselves and our respective heirs, executors, administrators and assigns firmly by these presents.

Signed this day of ---------- One thousand, nine hundred and ----------.

WHEREAS (c) ---------- was at the time of his death a subscriber to the General Provident Fund and Whereas the said (c) --------- died on the day of ---------- One thousand, nine hundred and ---------- and a sum of Rupees ---------- (in words and figures) payable by Board on account of his General Provident Fund accumulations AND WHEREAS the above bounden Obligor claim(s) # ---------- the said sum on behalf of the minor child/children of the said (c) ---------- but has/have not obtained a guardianship certificate.

AND WHEREAS the Obligor(s) has/have satisfied the (d) ---------- (Office concerned) that he/she/they is/are entitled to the aforesaid sum and that it would cause undue delay and hardship if the claimant were required to produce a guardianship certificate and WHEREAS Board desire to pay the said sum to the claimant but under Board regulations and orders, it is necessary that the claimant should first execute a bond with two sureties to indemnify the Board against all claims to the amount so due as aforesaid to the said (c) ---------- (deceased) before the said sum can be paid to the claimant which the obligor and at his/her request the sureties have agreed to do.

NOW THE CONDITION of this bond is such that, if after payment has been made to the claimant, the Obligor or Sureties shall, in the event of a claim being made by any other

persons against the Board with respect to the aforesaid sum of Rs. ----------, refund to the Board the sum of Rupees ---------- and shall otherwise indemnify and keep the Board harmless and indemnified from all liabilities in respect of the aforesaid sum and all costs incurred in consequence of any claim thereto THEN the above written bond or obligations shall be void but otherwise the same shall remain in full force, effect and virtue. The Board have agreed to bear the stamp duty, if any, chargeable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF the Obligor and the Surety/Sureties hereto have set and subscribed their respective hand hereunto on the day, month and year above written.

Signed by the above-named 'Obligor' in the presence of

(1) ----------

---

(2) ----------

Signed by the above-named 'Surety/Sureties'

(1) ----------

---

(2) ----------

---

in the presence of :

(Name and designation of the witness)

Accepted for and on behalf of the Board by

(Name and designation of the Officer directed or authorised to accept the bond for and on behalf of the Board.)

(a) Full name of claimants(a) with place(s) of residence.

(b) Name and address of the sureties.

(c) Name of the deceased.

(d) Name and designation of the Officer.

* *Strike out words not required.*

\# *Here insert "to be entitled to" or "as guardian", as the case may be.*

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 -- 2001